

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला शाहपुरा (राज.)

प्रकरण संख्या - 20/2024

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उपदान

1 शिमला पत्नि बाबुलाल मीना उन्न वधस्क निवासी काशीपुरिया तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा (प्रार्थी)

- वनाम
- 1 प्रवीण कुमार पिता नाथूलाल ब्राहमण उन्न वधस्क निवासी डोहरिया तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
  - 2 रमेश पिता समर्थ ब्राहमण उन्न वधस्क निवासी डोहरिया तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
  - 3 रत्न पिता समर्थ ब्राहमण उन्न वधस्क निवासी डोहरिया तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
  - 4 भूमिधारी तहसीलदार फूलियाकला जिला शाहपुरा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री योगेश कुमार आगाल

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 वावत कराने पत्थरगढी आराजीयात

दिनांक - 15.03.2024

### निर्णय


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 23.01.2024 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम डोहरिया पटवार मण्डल डोहरिया भू.अ.नि. कनेछनकला तहसील फूलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतीनी संख्या 837 के आन 893/2654, 895, 896 किता 3 रकबा 1.52 हैक्टर, भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एव विपक्षीगण के मध्य आराजीयात क सीमा विह नहीं होने से आयें दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 25.01.2024 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को बजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस वाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

### आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम डोहरिया पटवार मण्डल डोहरिया भू.अ.नि. कनेछनकला तहसील फूलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतीनी संख्या 837 के आन 893/2654, 895, 896 किता 3 रकबा 1.52 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढी बसानलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना क लिए भू-अभिलेख निरीक्षक कनेछनकला को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पडौसीगणों को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एव तिथि बाबत सूचित करेगा। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जाये। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जाये। सुरतकीन विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकला को भिजावाई जाये। खती फसलें अपना अपना बहन करे। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राजकेश मीना)  
उपखण्ड अधिकारी,  
फूलियाकला, जिला शाहपुरा